



2026: AHC: 48932-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 7861/2025

राहुल मदान

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : गौरव गौतम, समीर कुमार राय, सृष्टि सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई. (भारत के अपर महाधिवक्ता), गोपाल वर्मा, कैलाश प्रकाश पाठक

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल), इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा मूल आवेदन ('ओ.ए.') संख्या 1221 वर्ष 2019 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा याची द्वारा दिनांक 30.08.2019 और 08.06.2018 के आदेशों को निरस्त करने और सभी परिणामी लाभों के साथ एम.ए.सी.पी. के 4600/- रुपये (लेवल-7) के ग्रेड पे प्रदान करने हेतु याची के दावे पर विचार करने के निर्देश देने की मांग वाले ओ.ए. को खारिज कर दिया गया है।
2. याची को प्रारंभ में 16.08.1997 को प्रतिपक्षियों के साथ फिटर ग्रेड-III के रूप में नियुक्त किया गया था। 12.05.2004 को, उसे फिटर ग्रेड-II के पद पर प्रथम पदोन्नति दी गई थी। जब याची फिटर ग्रेड-II के रूप में कार्यरत था, तब प्रशिक्षक (इंस्ट्रक्टर) के संवर्ग-बाह्य पद के लिए एक चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और याची को उपयुक्त पाए जाने के बाद, उसे 18.01.2006 को टी.टी.सी./प्रशिक्षक 'बी' के रूप में तैनात किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था। जिसके बाद, याची ने इंटरमीडिएट अपरेंटिस मैकेनिक (आई.ए.एम.) परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे 22.03.2007 को 5000-8000 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ अभियंता (फिटर) के रूप में तैनात किया गया और 18 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर भेजा गया, जिसे बाद में घटाकर 12 महीने कर दिया गया था। उठाई गई शिकायत यह थी कि याची को एम.ए.सी.पी. नीति के अनुसार पदोन्नति नहीं दी गई थी, प्रत्यावेदन दिए गए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था।

3. याची द्वारा किए गए दावे का प्रतिपक्षियों द्वारा इन दलीलों के साथ विरोध किया गया था कि याची को 16.08.1997 को फिटर ग्रेड-III के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे 12.05.2004 को फिटर ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किया गया था और आदेश दिनांक 22.03.2007 द्वारा उसे तकनीशियन फिटर ग्रेड-I के रूप में पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार, एक बार जब उसे 5000-8000 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ अभियंता के रूप में तैनात किया गया, तो उसने तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त कर ली थीं और इसलिए, वह एम.ए.सी.पी. के लाभ का हकदार नहीं था।
4. अधिकरण ने पक्षों को सुनने के बाद, प्रत्यावेदनों की अस्वीकृति को उद्धृत करते हुए, सरसरी तौर पर यह टिप्पणी की कि मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों की बारीकी से जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि याची को सेवा में शामिल होने के बाद से तीन पदोन्नतियाँ मिली थीं और इसलिए, वह किसी भी राहत का हकदार नहीं था और फलस्वरूप ओ.ए. को खारिज कर दिया गया। व्यथित होकर, वर्तमान याचिका दायर की गई है।
5. यह दलीलें दी गई हैं कि याची को 16.08.1997 को 3050-4590 रुपये के वेतनमान में फिटर ग्रेड-III के रूप में नियुक्त किया गया था। 12.05.2004 को, उसे 4000-6000 रुपये के वेतनमान में फिटर ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो उसकी पहली नियमित पदोन्नति थी। फिटर ग्रेड-II के रूप में कार्य करते समय, याची को 5000-8000 रुपये के वेतनमान में टी.टी.सी./प्रशिक्षक 'बी' (संवर्ग-बाह्य) के रूप में सूचीबद्ध और तैनात किया गया था। उक्त तैनाती संवर्ग-बाह्य थी न कि नियमित पदोन्नति पदानुक्रम का हिस्सा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. 20.02.2006 को, याची ने इंटरमीडिएट अपरेंटिस मैकेनिक (आई.ए.एम.) परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे निर्धारित पदोन्नति कोटे के तहत 5000-8000 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ अभियंता (फिटर) लेवल-6 के रूप में नियुक्त किया गया। यह दावा किया गया है कि वही उसकी दूसरी नियमित पदोन्नति थी। 06.03.2006 को, कनिष्ठ अभियंता (फिटर) के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, याची को 18 महीने के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए उसके मूल संवर्ग से कार्यमुक्त कर दिया गया था। 27.01.2007 को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण को 6 महीने कम कर दिया गया था और इस प्रकार 21.03.2007 को, याची को कनिष्ठ अभियंता (फिटर) लेवल-6 के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षण से कार्यमुक्त कर दिया गया, जहाँ उसने 22.03.2007 को कार्यभार ग्रहण किया।
7. यह दलीलें दी गई हैं कि 22.03.2007 को ही आदेश पारित किया गया था जिसमें याची को फिटर ग्रेड-I (लेवल-5) के पद पर पदोन्नति दिखाई गई थी, भले ही उसे पहले ही प्रशिक्षण से कार्यमुक्त कर दिया गया था और उक्त तिथि को उसने कनिष्ठ अभियंता (फिटर) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया था।
8. दस वर्ष पूरे होने पर याची एम.ए.सी.पी. के लिए पात्र हो गया और उसने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे फिटर ग्रेड-II से फिटर ग्रेड-I में कथित पदोन्नति को एक अतिरिक्त पदोन्नति मानकर गलत तरीके से खारिज कर दिया गया और इसलिए, आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।
9. प्रतिपक्षियों के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करने का प्रयास किया। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 18 में यह दलीलें दी गई हैं कि यदि प्रशिक्षण कम नहीं किया गया होता, तो याची को पहले फिटर ग्रेड-I में पदोन्नत किया गया होता और उसने अपने शेष प्रशिक्षण के दौरान 4500-7000/- रुपये का वेतनमान प्राप्त किया होता और उसके बाद ही उसे कनिष्ठ अभियंता के रूप में तैनात किया गया होता और 5000-8000 रुपये का वेतनमान प्राप्त किया होता। जिसके आधार पर, यह दावा किया गया है कि 22.03.2007 को फिटर ग्रेड-II से फिटर ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति देने वाला आदेश उसकी दूसरी पदोन्नति थी और फिर कनिष्ठ अभियंता के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप में उसकी तैनाती उसकी तीसरी पदोन्नति थी और इसलिए, अधिकरण ओ.ए. को खारिज करने में उचित था।

10. हमने दी गई दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।
11. यह तथ्य कि याची को फिटर ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था और उसे फिटर ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किया गया था, विवाद में नहीं है। जिसके बाद, याची द्वारा इंटरमीडिएट अपरेंटिस मैकेनिक (आई.ए.एम.) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे 20.02.2006 को 5000-8000 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ अभियंता नियुक्त किया गया और 18 महीने के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, हालाँकि, प्रशिक्षण को घटाकर 12 महीने कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप याची को 22.03.2007 को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कराया गया।
12. एक बार जब याची को 22.03.2007 को कनिष्ठ अभियंता (फिटर) के रूप में तैनाती दी गई, तो उसी दिन उसे फिटर ग्रेड-I के रूप में पदोन्नति देने वाला एक अन्य आदेश पारित किया गया, जो लेवल-05 का पद है यानी 4500-7000 रुपये के वेतनमान में, जबकि कनिष्ठ अभियंता (फिटर) का पद 5000-8000 रुपये के वेतनमान में लेवल-06 का पद है। प्रतिपक्षियों द्वारा किया गया यह दावा कि 22.03.2007 को फिटर ग्रेड-II के पद से फिटर ग्रेड-I में दी गई पदोन्नति दूसरी पदोन्नति थी और कनिष्ठ अभियंता (फिटर) के पद पर पदोन्नति तीसरी पदोन्नति थी, प्रथम दृष्टया गलत है क्योंकि एक बार जब याची को 20.02.2006 को 5000-8000 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ अभियंता (फिटर) के रूप में नियुक्त होने के लिए चुन लिया गया था, तो वह फिटर ग्रेड-I में पदोन्नत होने के लिए फिटर ग्रेड-II में उपलब्ध नहीं था और प्रतिपक्षियों द्वारा की गई कार्यवाही पूरी तरह से निष्फल थी और इसका उपयोग यह दावा करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि याची को फिटर ग्रेड-II के पद से फिटर ग्रेड-I में पदोन्नति दी गई थी क्योंकि आदेश पारित होने की तिथि पर याची पहले से ही कनिष्ठ अभियंता यानी लेवल-06 की तैनाती पर था जबकि फिटर ग्रेड-I लेवल-5 की तैनाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. मामले के उस परिप्रेक्ष्य में, एक बार जब फिटर ग्रेड-II से फिटर ग्रेड-I में कथित पदोन्नति को नजरअंदाज किया जाना है, तो उस स्थिति में याची को अपने करियर में केवल दो पदोन्नतियाँ मिली थीं, यानी फिटर ग्रेड-III से फिटर ग्रेड-II और आई.ए.एम. परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर फिटर ग्रेड-II से कनिष्ठ अभियंता (फिटर) और परिणामस्वरूप वह एम.ए.सी.पी. प्रदान किए जाने का हकदार था।
14. फलस्वरूप, प्रत्यावेदनों की अस्वीकृति और ओ.ए. की बर्खास्तगी को कायम नहीं रखा जा सकता।
15. उपरोक्त चर्चा के आलोक में याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिपक्षियों द्वारा पारित दिनांक 30.08.2019 और 08.06.2018 के आदेश और अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 05.04.2025 के आदेश को निरस्त किया जाता है।
16. प्रतिपक्षियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर सभी परिणामी लाभों के साथ एम.ए.सी.पी. के 4600 रुपये के ग्रेड पे (लेवल-7) प्रदान करने के लिए याची के मामले पर विचार करें।

10 मार्च, 2026

संदीप

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।